

वैयक्तिक खातों के लिए सी-केवाईसी हेतु अतिरिक्त सूचना

केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए :

 (संयुक्त खाते के मामले में प्रत्येक आवेदक से अलग अलग प्राप्त किया जाए) खाते का प्रकार: सामान्य सरलीकृत लघु

केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए (बैंक अधिकारियों द्वारा भरा जाए) सी-केवाईसी सं :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	उपाधि	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम

नाम (आईडी प्रमाण के अनुसार)

प्रथम नाम (यदि कोई हो)

माता का नाम

 लिंग पुरुष महिला ट्रांसजेंडर

 वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित अन्य

 नागरिकता आई एन-भारतीय अन्य (आईएसओ 3166 देश कोड)

 आवासीय स्थिति निवासी वैयक्तिक अनिवासी भारतीय
 विदेशी नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति

 व्यवसाय का प्रकार निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र
 ओ- अन्य एक्स- वर्गीकृत नहीं है

यदि लागू हो तो भारत के बाहर क्षेत्राधिकार (ओं) में कर प्रयोजनों के लिए आवास (कृपया अंत में अनुदेश वी देखें)

अतिरिक्त आवश्यक विवरण (यदि उपर्युक्त को टिक किया गया हो तो अनिवार्य)

आईएसओ 3166 निवास के अधिकार क्षेत्र का देश

कर पहचान संख्या या समकक्ष (यदि क्षेत्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो)

आईएसओ 3166 जन्म का देश

जन्म का स्थान / शहर

आवेदक/कों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों का विवरण. (ध्यान दें: एनआरआई आवेदकों के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए):

दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज संख्या	जारीकर्ता प्राधिकारी	जारी करने की तारीख	जारी करने का स्थान	अंतिम तारीख / कब तक वैध है	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण (अनुदेश 1 के अनुसार पते के प्रकार का चयन करें)
1. आधार * (अनिवार्य)							
2. उपलब्ध कराए जाने वाले ओवीडी की सूची, जिनमें पैन जमा नहीं किया गया है							
मतदाता पहचान पत्र							
पासपोर्ट							
ड्राइविंग लाइसेंस							
नरेगा जाँब कार्ड							
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर							
3. सरलीकृत उपाय खाता. दस्तावेज प्रकार का कोड: पीओआई / पीओईएल / एलएल				दस्तावेज सं.: पीओआई : / पीओ :			

* यदि आधार नहीं है, आधार नामांकन संख्या _____ (6 माह में आधार कार्ड की कॉपी उपलब्ध करायी जाए)

संबंधित व्यक्ति के विवरण (कृपया अंत में अनुदेश जी देखें).

 संबंधित व्यक्ति को जोड़ना संबंधित व्यक्ति को हटाना संबंधित व्यक्ति का सीकेवाईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)

संबंधित व्यक्ति का ग्राहक आईडी

आरंभिक नाम प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम

नाम (आईडी प्रमाण के अनुसार)

संबंधित पार्टी द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेज. (ध्यान दें: संबंधित पार्टी के लिए पहचान पत्र के प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है):

दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज संख्या	जारीकर्ता प्राधिकारी	जारी करने की तारीख	जारी करने का स्थान	अंतिम तारीख / कब तक वैध है	पहचान का प्रमाण
आधार (अनिवार्य)						
सरलीकृत उपाय खाता. दस्तावेज प्रकार का कोड :				दस्तावेज सं.:		

आवेदक घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा घोषित करता / करती हूं कि उपर्युक्त उल्लिखित विवरण मेरे संज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और उचित हैं तथा इसमें हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं. यदि उपर्युक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती है, तो मुझे ज्ञात है कि इसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी. मैं एतद्वारा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से उपरोक्त पंजीकृत नंबर/ ईमेल पते पर एसएमएस / ईमेल पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता / करती हूं.

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक

स्थान

सामान्य अनुदेश :

1. सभी लागू आवश्यक फिल्ड को भरा जाए.
2. जहां भी लागू हो टिक करें.
3. दस्तावेजों का स्व-प्रमाणन अनिवार्य है.
4. कृपया अंग्रेजी के ब्लॉक अक्षरों में फॉर्म भरें.
5. कृपया सभी दिनांकों को दिनांक-माह-वर्ष प्रारूप में भरें.
6. जहां भी स्टेट कोड और कंट्री कोड प्रस्तुत किया जाना है, वहां भारतीय मोटर वाहन, 1988 और आईएसओ 3166 देश कोड के अनुसार दो अंकों का कोड होना चाहिए, जिसकी सूची इसके अंत में उपलब्ध है.
7. केवाईसी विवरण के अपडेशन के लिए आवेदक का केवाईसी संख्या होना अनिवार्य है.
8. किसी विशेष सेक्शन को अपडेट करने के लिए, कृपया सेक्शन नंबर के पहले उपलब्ध बॉक्स पर टिक करें तथा जो सेक्शन अपडेट नहीं करने है उन्हें काट दें.
9. 'लघु खाता प्रकार' के मामले में केवल सेक्शन 1 और 2 पर व्यक्तिगत विवरण, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर तथा स्व-प्रमाणन आवश्यक है.

क. 'व्यक्तिगत विवरण' सेक्शन पर स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. नाम :कृपया उपाधि के साथ नाम लिखें (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ/आदि.). नाम को प्रस्तुत किए गए पहचान के प्रमाण में उल्लेख किया गए नाम से मेल खाना चाहिए ऐसा न होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.
 2. पिता का नाम या पति अथवा पत्नी का नाम अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. पैर उपलब्ध न होने पर पिता का नाम अनिवार्य है.
- ख. यदि आवेदक भारत के बाहर क्षेत्राधिकार (ओं) में कर प्रयोजनों के लिए निवास करते हैं तो विवरण भरने हेतु स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश
1. कर पहचान संख्या (टीन) : यदि क्षेत्राधिकार द्वारा जारी नहीं किया गया है तो टीन को रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है. तथापि, यदि उक्त क्षेत्राधिकार ने पहचान के समकक्ष स्तर ("कार्यात्मक के समकक्ष") के साथ उच्च समेकित संख्या जारी की है, तो उसी की सूचना

दी जा सकती है. व्यक्ति के लिए उस प्रकार की संख्या के उदाहरणों में सामाजिक सुरक्षा / बीमा संख्या, नागरिक / व्यक्तिगत पहचान / सेवा कोड / संख्या, और निवासी पंजीकरण संख्या शामिल हैं.)

ग. 'पहचान का प्रमाण [पीओआई]' सेक्शन भरने संबंधी स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. यदि पहचान के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या पासपोर्ट प्रदान किया जाता है, तो इसके समाप्ति की तारीख अनिवार्य रूप से दर्शायी जाए.
2. यदि 'जेड- अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज)' टिक किया गया है तो पहचान / संदर्भ संख्या का उल्लेख करें
3. सरलीकृत उपाय खातों के मामले में आवेदक की पहचान को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है तथा मद सं 3 के अंतर्गत नोट किए गए संबंधित कोड का उल्लेख किया जा सकता है.

दस्तावेज कोड	विवरण
01	केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की फोटो के साथ पहचान पत्र
02	राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें व्यक्ति की विधिवत सत्यापित फोटो हो.

घ. 'पते के प्रमाण [पीओए] - वर्तमान / स्थायी / विदेशी पते के विवरण' सेक्शन को भरने के संबंध में स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. प्रस्तुत किए गए पीओआई में पते का उल्लेख न होने पर या पीओआई के अनुसार पता अमान्य या लागू न होने पर ही पीओए प्रस्तुत किया जाएगा.
2. विदेशी पतों के लिए राज्य / यूटी कोड और पिन / पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं होगा.
3. सरलीकृत उपाय खातों के मामले में आवेदक के पते को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक भी प्रस्तुत किया जा सकता है तथा केवाईसी दस्तावेजों के विवरण के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लिखित संबंधित कोड का उल्लेख किया जा सकता है.

दस्तावेज कोड	विवरण
01	किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल जो दो माह से अधिक पुराना न हो (बिजली, टेलिफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाईप गैस, पानी का बिल).
02	संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद.
03	बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस बचत बैंक खाते का विवरण.
04	सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उसमें पते का विवरण है.
05	राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आबंटन का पत्र. इसी प्रकार से ऐसे कर्मचारियों को आधिकारिक आवास आबंटित करने संबंधी किराए का करार.
06	विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज तथा भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र.

ङ. 'पते का प्रमाण [पीओए] - पत्राचार / स्थानीय पते का विवरण सेक्शन पर स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. इसे केवल तभी भरा जाना चाहिए जब पीओए स्थानीय पता या ऐसा पता जहां ग्राहक वर्तमान में निवास कर रहा है न हो. अलग से कोई पीओए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है.

च. 'संपर्क विवरण' सेक्शन पर स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. कृपया दो अंकों के कंट्री कोड और 10 अंकों के मोबाइल नंबर का उल्लेख करें. (अर्थात् भारतीय मोबाइल नंबर के लिए 91-9999999999 का उल्लेख करें).
2. मोबाइल नंबर की शुरुआत में '0' न जोड़ें.

छ. 'संबंधित व्यक्ति विवरण' सेक्शन भरने संबंधी स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. यदि उपलब्ध हो तो संबंधित व्यक्ति का केवाईसी नंबर प्रदान करें.

ज. 'संबंधित व्यक्ति विवरण - संबंधित व्यक्ति की पहचान का प्रमाण [पीओआई] सेक्शन भरने पर स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

1. यदि 'जेड-अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज)' टिक किए जाने पर पहचान / संदर्भ संख्या का उल्लेख करें

झ पते के प्रकार कोड का चयन करें : 1. निवासी / कारोबार 2. निवासी 3. कारोबार. 4. पंजीकृत कार्यालय 5. अनिर्दिष्ट

BANK OF BARODA
Annexure
ADDITIONAL INFORMATION FOR C-KYC for Individual Account
(In case of Joint Account obtain separate form for each applicant)
For Office Use Only:
 Account Type: Normal Simplified Small
For office use only (To be filled by the Bank Officials) **CKYC Number:**

	Prefix	First Name	Middle Name	Last Name
Name (Same as ID proof)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Maiden Name (If any)	Prefix	First Name	Middle Name	Last Name
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mother Name	Prefix	First Name	Middle Name	Last Name
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gender Male Female Transgender

Marital Status Married Unmarried Others

Citizenship IN-Indian Others (ISO 3166 Country Code)

Residential Status Resident Individual Non- Resident Indian
 Foreign National Person of Indian Origin

Occupation Type Private Sector Public Sector Government Sector
 O-Others X-Not Categorized

 Residence For Tax Purposes In Jurisdiction(S) Outside India If Applicable (Please refer instruction B at the end)

Additional Details Required (Mandatory only if ticked above)

 ISO 3166 Country of Jurisdiction of Residence

 Tax Identification Number or equivalent (if issued by jurisdiction)

 Place /City of Birth

 ISO 3166 Country of Birth
Details of KYC documents submitted by the applicant/s. (Care: for NRI applicants copy of passport must be submitted as identification document as per document submitted) :

Type of Document	Document Number	Issuing Authority	Date of Issue	Place of Issue	Expiry date/ valid upto	Identity Proof	Address Proof (Select Address Type Code as per Instruction I)
1.Aadhaar* (Mandatory)							
2.List of OVDs to be provided, where PAN is not submitted							
Voter ID							
Passport							
Driving License							
NAREGA Job Card							
National Population Register							

3.Simplified Measures Account – Document Type Code: POI/POA Document No.: POI: _____ / POA: _____

*if there is no Aadhaar, Aadhaar Enrolment Number _____ (Copy of Aadhaar card to be provided within 6 months)

Details of Related Person (Please refer instruction G at the end).
 Addition of Related person Deletion of related person CKYC Number of related person (if available)

 Related Person Type Guardian of Minor Assignee Authorized Representative

 Related Person Customer ID

	Prefix	First Name	Middle Name	Last Name
Name (Same as ID proof)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

KYC documents submitted by the Related Party. (Care: for Related Party one copy of proof of Identity must be submitted) :

Type of Document	Document Number	Issuing Authority	Date of Issue	Place of Issue	Expiry date/ valid upto	Identity Proof
Aadhar (Mandatory)						

Simplified Measures Account – Document Type Code: Document No.:
Applicant Declaration

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to inform of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am aware that I may be held liable for it. I hereby consent to receive information from central KYC registry true SMS/email on the above registered number / email address.

Signature/Thumb Impression

Date Place **General Instructions:**

1. All the Fields are required to be filled as applicable.
2. Tick '☐' wherever applicable.
3. Self-Certification of documents is mandatory.
4. Please fill the form in English and in BLOCK Letters.
5. Please fill all dates in DD-MM-YYYY format.
6. Wherever state code and country code is to be furnished, the same should be the two-digit code as per Indian Motor Vehicle, 1988 and ISO 3166 country code respectively list of which is available at the end.
7. KYC number of applicant is mandatory for updation of KYC details.
8. For particular section update, please tick (☐) in the box available before the section number and strike off the sections not required to be updated.
9. In case of 'Small Account type' only personal details at section number 1 and 2, photograph, signature and self-certification required.

A. Clarification / Guidelines on filling 'Personal Details' section

1. **Name:** Please state the name with Prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted failing which the application is liable to be rejected.
2. Either **father's name or spouse's** name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.

B. Clarification / Guidelines on filling details if applicant residence for tax purposes in jurisdiction(s) outside India

1. **Tax identification Number (TIN):** TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an equivalent level of identification (a "Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number, and resident registration number)

C. Clarification / Guidelines on filling 'Proof of Identity [Pol]' section

1. If driving license number or passport is provided as proof of identity then expiry date is to be mandatorily furnished.
2. Mention identification / reference number if 'Z- Others (any document notified by the central government)' is ticked.
3. In case of Simplified Measures Accounts for verifying the identity of the applicant, any one of the following documents can also be submitted and undernoted relevant code may be mentioned in point 3 (S).

Document Code	Description
01	Identity card with applicant's photograph issued by Central/ State Government Departments, Statutory/ Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions
02	Letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.

D. Clarification / Guidelines on filling 'Proof of Address [PoA] - Current / Permanent / Overseas Address details' section

1. PoA to be submitted only if the submitted Pol does not have an address or address as per Pol is invalid or not in force.
2. State / U.T Code and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
3. In case of Simplified Measures Accounts for verifying the address of the applicant, any one of the following documents can also be submitted and undernoted relevant code may be mentioned under detail of KYC Documents.

Document Code	Description
01	Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill).
02	Property or Municipal Tax receipt.
03	Bank account or Post Office savings bank account statement.
04	Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address.
05	05 Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation
06	Documents issued by Government departments of foreign jurisdictions and letter issued by Foreign Embassy or Mission in India.

E. Clarification / Guidelines on filling 'Proof of Address [PoA] - Correspondence / Local Address details' section

1. To be filled only in case the PoA is not the local address or address where the customer is currently residing. No separate PoA is required to be submitted.

F. Clarification / Guidelines on filling 'Contact details' section

1. Please mention two- digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-9999999999).
2. Do not add '0' in the beginning of Mobile number.

G. Clarification / Guidelines on filling 'Related Person details' section

1. Provide KYC number of related person if available.

H. Clarification / Guidelines on filling 'Related Person details – Proof of Identity [Pol] of Related Person' section

1. Mention identification / reference number if 'Z- Others (any document notified by the central government)' is ticked.

- I. Select Address Type Code:** 1. Residential/ Business 2. Residential 3. Business. 4. Registered Office 5. Unspecified